न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 04/2018
दायर दिनांक : 18/01/2018
निर्णय दिनांक : 13/11/2025

उनवान

1 ललिता पत्नी स्व0 नरेशचंद्र महाजन निवासी फतहनगर
2 रेला पिता स्व0 नरेशचंद्र महाजन निवासी फतहनगर
3 जया पिता स्व0 नरेशचंद्र महाजन निवासी फतहनगर

प्रार्थी

बनाम

1 सोहनी बेवा गणेश महाजन निवासी फतहनगर
2 दिनेशचंद पिता गणेश महाजन निवासी फतहनगर
3 ललिता पिता गणेश महाजन निवासी फतहनगर
4 तहसीलदार भूपालसागर
5 सब रजिस्टार तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री शंकर जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बालेन्दु कोठारी, अधि. अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 1722 रकबा 0.17 है0 आ0न0 1723 रकबा 0.49 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 में आराजियात प्रार्थीण व अप्रार्थीगण न 1 2 3 की मौरूसी है उक्त आराजी प्राथी न 1 के व प्रार्थी न0 2 3 के पिता नरेशचंद्र एवं अप्रार्थीगण न 1 2 3 के नाम पर बराबर हक से संयुक्त नाम पर दर्ज थी। उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी न 1 के पति प्रार्थी न 2 3 के पिता का 1/4 हिस्सा है नरेशचंद्र बीमार थे व मानसिक स्थिति ठीक नही होने से प्रार्थीगण को उनके जायज हक हिस्से से वंचित करने की गरज से अप्रार्थीगण न 1 2 3 ने साजिश रच बिना जानकारी उक्त आराजियात में से 1/4 हिस्सा अप्रार्थी न0 1 के नाम परिए नाम दिनांक 12.05.2017 को पंजीयन कराया व इसके आधार पर नामांतरण संख्या 987 दिनांक 01.06.2017 को अप्रार्थी न 1 के नाम पर गलत दर्ज करा लिया व दिनांक 30.06.2017 को प्रार्थी न 1 के पति व प्रार्थी न 2 3 के पिता नरेशचंद्र की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उक्त आराजियात मोरूसी होकर प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है प्रार्थीगण मृतक नरेशचंद्र के जायज वारिस है प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से से वंचित करने की गरज से अप्रार्थी न1 के पक्ष में गलत तर्कनामा पंजीयन कराया व राजस्व रेकार्ड में गलत इंद्राज कराया जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजी मे 1/4 हिस्सा है व संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपने जायज हक हिस्से से वंचित करने की गरज से अप्रार्थी न0 1 2 3 जैरबहस आराजियात को रहन बेचान करने पर आमादा है अतः अप्रार्थीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से वकील श्री बालेन्दु कोठारी ने उपस्थित होकर वकालत नामा प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि दावा पेश होना स्वीकार है मगर झूठा व गलत तथ्यों के साथ होने से खारिज होगा, कॉलम सं. 2 अनुसार आराजियात होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात पूर्व में विपक्षी सं. 1, 2, 3 एवं नरेशचन्द्र के नाम पर दर्ज होना स्वीकार है। सजरा प्रार्थीगण ने गलत पेश किया है। प्रार्थीगण स्व. नरेशचन्द्र की पत्नी व पुत्रियां नहीं है तथा कभी भी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

स्व. नरेशचन्द्र के साथ नहीं रहे हैं। नरेशचन्द्र का वारिस प्रार्थीगण का होना भी गलत है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपना निवास स्थान फतेहनगर होना गलत बताया है। वह ग्राम फतेहनगर के निवासी भी नहीं है तथा राशनकार्ड व मतदाता सूची आदि में भी उनका नाम दर्ज नहीं है। प्रा.पत्र वर्णित आराजियात में से स्व. नरेशचन्द्र ने अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक तर्कनामा दिनांक 12.05.2017 को विपक्षी सं. 1 माता मु. सोहनीबाई के पक्ष में तर्क कर दिया व इंतकाल नं. 987 के जरिये दि. 01.06.2017 को मु. सोहनी बाई के नाम पर दर्ज हो गया है। इस प्रकार उक्त आराजियात विपक्षी सं. 1, 2, 3 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। स्व. नरेशचन्द्र विपक्षी सं. 1 मु. सोहनीबाई के पुत्र थे और दोनों ग्राम फतेहनगर में एक ही मकान में शामिल शरीक रहते थे। स्व. नरेशचन्द्र की मृत्यु से पूर्व सन 2017 में बीमार हो गऐ थे और उनकी सार संभाल देखभाल व ईलाज उदयपुर अस्पताल में आदि कार्य विपक्षी सं. 1, 2 ने ही कराया था। स्व. नरेशचन्द्र की मानसिक हालत सही थी व समझदार थे और उन्होने राजीखुशी स्वेच्छापूर्वक उक्त हक तर्कनामा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किया है। स्व. नरेशचन्द्र की मृत्यु दि. 30.06.2007 को होना स्वीकार है व उसका अन्तिम कियाकर्म, काज करियावर आदि खर्चा विपक्षी सं. 1, 2 ने ही किया है। प्रार्थीगण स्व. नरेशचन्द्र की पत्नी व पुत्रियां नहीं है व कभी भी उनके साथ नहीं रही है तथा मृत्यु के समय भी यहां पर नहीं आये थे। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में कोई हक हिस्सा नहीं है व प्रार्थना पत्र झूठे तथ्य बताकर उक्त प्रा. पत्र में वर्णित आराजियात में हिस्सा लेने के लिये यह प्रकरण पेश किया है। कॉलम सं. 5 अस्वीकार है, आराजियात मौरूसी नहीं है व प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा भी नहीं है। प्रार्थीगण खातेदार भी नहीं है और स्व. नरेशचन्द्र के हिस्से वाली जमीन में उनका कोई हित नहीं है अतः राजस्व रिकार्ड का जो इन्द्राज है वह सही है और कोई दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं है। अन्य तथ्य अंकित कर निवेदन किया किय प्रार्थीगण ने झूठा व गलत तथ्यों को बताकर प्रस्तुत किया है व प्रार्थीगण स्व. नरेशचन्द्र के वारिस भी नहीं है तथा कब्जा भी प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात पर नहीं है तथा प्रकरण सिविल कोर्ट की क्षेत्राधिकारिता है अतः मय खर्चा निरस्त फरमावें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:02 IST
Reason: SelfAttested